राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 1184/2018

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
दिनेश जैन रैणी, Alwar,Rajasthan		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं संयुक्त शासन सचिव द्वितीय जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग शासन सचिवालय Jaipur

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 28/03/2018

1. अपीलार्थी उपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री अनिल कुमार शर्मा, अनुभागाधिकारी उपस्थित।

3. मैंने उभय पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 20-06-2017 के द्वारा सहायक अभियन्ता सीधी भर्ती में कार्मिक विभाग के पत्र दिनांक 15-07-2016 एवं सत्यापन से संबंधित विभागीय नियमों संबंधित समस्त पत्रों की प्रति एवं पत्रावली की प्रति चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान अपीलार्थी ने बताया कि जो सूचना चाही गई थी उपलब्ध नहीं कराई गई है। नियुक्त किये गये सहायक अभियन्ताओं द्वारा प्रस्तुत चरित्र प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति दिलायी जावे। प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी के द्वारा वांछित सूचना में विशिष्ठी का अभाव था, आवेदन में क्या सूचना चाही है यह स्पष्ट नहीं है। इस बाबत अपीलार्थी को पत्र दिनांक 31-07-2017 से रिकार्ड अवलोकन के लिए सूचित किया गया। अपीलार्थी के द्वारा रिकार्ड अवलोकन नहीं किया गया जिसके अभाव में सूचना नहीं दी जा सकी। इसके अतिरिक्त चरित्र प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना कर्मचारियों की निजी सूचना है व तृतीय पक्षकार से संबंधित है जो अदेय है।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 26-02-2018 प्रस्तुत किया है जिसकी प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की गई है, अपीलोत्तर के साथ में पत्र दिनांक 31-07-2017 की प्रति संलग्न की गई है।

7. अपीलार्थी द्वारा प्रतिक्रिया प्रस्तुत की गई है जो स्वीकार्य नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 03-10-2012 प्रकरण गिरीश रामचन्द्रदेश पाण्डे बनाम केन्द्रीय सूचना आयोग दिल्ली में यह प्रतिपादित किया है कि तृतीय पक्षकार से संबंधित सूचना एवं विभागीय कर्मचारियों की अनुशासनात्मक कार्यवाही से संबंधित सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 11 की कार्यवाही किये बिना देय नहीं है। राज्य लोक सूचना अधिकारी का विनिश्चय विधि अनुसार है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त